निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 16/अपील/21 तारिख दायराः 09.04.2021

बद्रीलाल पुत्र माधोलाल उर्फ भंवरलाल उम्र 60 वर्ष जाति गूजर नि0 हरिगढ
तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 17.02.2021 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 64/2020
सरकार बनाम बद्रीलाल

उपस्थितः— श्री बच्चूलाल, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

—: निर्णय :— दिनांकः 23.07.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के आदेश कमांकः 64/2020/दिनांक 17.02.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है । अपने अपील मीमो में अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक ने अपीलान्ट की दुकान का निरीक्षण कर जिला रसद अधिकारी को अपनी रिपोर्ट पेश की उस रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ ने दिनांक 02.09.2020 को अपीलान्ट को नोटिस दिया। दिये गये नोटिस का जवाब अपीलान्ट के द्वारा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत हरिगढ़—1 का लाईसेन्स दिनांक 03.11.2020 को निलम्बित एवं दिनांक 17.02.2021 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी का निर्णय कानून व सरकार द्वारा घोषित अधिसूचना के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की पालना में ऐसी जांच की कार्यवाही तीन महिने में पूरी होनी चाहिये उस समयावधि के पश्चात की गई कार्यवाही अवैध व शून्य है । अपीलान्ट ने गेंहू व चीनी का स्टॉक उचित मूल्य दुकानदार लायफल को संभला दिया है फिर भी लाईसेन्स रद्द करने की गलती की है। दौराने जांच प्रवर्तन निरीक्षक व सरपंच ग्राम पंचायत हरिगढ ने अपीलान्ट से दुर्भावना रखते हुए फर्जी व झूठे अंगूठे लगवाकर शिकायत पत्र पेश किये है जों मान्य नही है ऐसे शिकायतकर्ताओं से अपीलान्ट को सवाल करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा तथाकथित अनियमितताओं को दूर कर दिया है तथा अपीलान्ट की अनियमितता से राज्य सरकार को कोई आर्थिक हानि नही हुई है। निर्णय मनमाना है इस तरह के अन्य मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा मामूली दण्डित करके लाईसेंस को बहाल किया गया है। अपीलान्ट गरीब व्यक्ति है उसकी उम्र भी अधिक है रोजगार व व्यवसाय छीनने से परिवार के सामने भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जावेगी। अपीलान्ट भविष्य में ऐसी गलती नही करेगा। जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 17.02.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की डीलरशिप को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान हरिगढ़ प्रथम तहसील खानपुर का राशन डीलर था, जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिया जिसका जवाब भी दिया गया। किन्तु जिला रसद अधिकारी ने जवाब का विवेचन व गौर किये बगैर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्राधिकार पत्र दिनांक 17.02.2021 को निरस्त कर दिया व प्रतिभूति राशि जप्त सरकार करली। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की पालना में ऐसी जांच की कार्यवाही लाईसेन्स निलम्बन दिनांक 03.11.2020 से तीन महिने में पूरी होनी चाहिये उस समयावधि के पश्चात की गई कार्यवाही अवैध व शून्य है । अतःजिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 17.02.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

पेरोकार रसद ने बताया कि बद्रीलाल पुत्र माधोलाल गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत हरिगढ़ तहसील खानपुर के विरूद्ध ग्राम वासियान हरिगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी,खानपुर को की गई शिकायत की प्रवर्तन निरीक्षक खानपुर ने दिनांक 20.08.2020 को मोके पर जांच की जाकर रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत की गई– अपनी जांच में अकंन किया कि उचित मूल्य दकानदार द्वारा उपभोक्ताओं से राशन सामग्री वितरण के दौरान खाद्यान की अवैध तरीके से राशि वसूल की जा रही है जबकि राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा योजनान्तर्गत समस्त लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क गेंहू वितरण हेतु निर्देश है इस कम में जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को पाबन्द भी किया गया था। सरपंच ग्राम पंचायत हरिगढ़ एवं ग्रामवासियान हरिगढ़ की और से उपखण्ड अधिकारी खानपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत की जिसमें उचित मूल्य दुकानदार के पुत्र द्वारा शराब पीकर खाद्यान्न वितरण किये जाने का उल्लेख है। उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक मूल्य एवं वितरण की मात्रा प्रदर्शित नहीं है, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं है। दुकान के बाहर अधिकारियों के एवं टोल फ्री नम्बर का अंकन नहीं है। कारोबार स्थल/उचित मूल्य दुकान का नजरी नक्शा मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त उचित मूल्य दुकान के अटेच दुकान 15028 के राशनसामग्री का स्टॉक भौतिक सत्यापन के दौरान 44 क्विंटल गेहूं तथा 25 किलोग्राम चीनी कम पाये गये। प्रवर्तन निरीक्षक ने दौराने जांच गांव वासियों के बयान लिए व मौका पर्चा बनाया गया। आरोपी द्वारा दिनांक 24.08.2020 को जवाब पेश कर वसूली से इन्कार किया है। तत्पश्चात स्पष्टीकरण बाबत कारण बताओ नोटिस कमशः 7035 दिनांक 02.09.2020 ,8148 दिनांक 28.09.2020,8277 दिनांक 14.10.2020 दिये गये। जिला कलक्टर महोदय के पत्रांकः6028 दिनांक 06.10.2020 में प्रभारी मंत्री के निर्देशानुसार उक्त दुकानदार की शिकायत प्राप्त होने पर पुनः प्रवर्तन निरीक्षक झालावाड़ को जिला रसद अधिकारी द्वारा पत्रांक8282 दिनांक 14.10.2020 से जांच के लिए लिखा जाने पर प्रर्वतन निरीक्षक ने 26.10.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उक्त दुकानदार ने निःशुल्क गेहूं वितरण के दौरान पैसे वसूल किये। उ0मू0दुकानदार के स्थान पर उसके पुत्र द्वारा वितरण किया जाता है जो कि अधिकांशतया नशे में रहता है एवं उसके द्वारा उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार किया जाता है। उ0मू0दुकानदार द्वारा समय पर राशन वितरण नहीं किया जाता है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) 1976 के खण्ड 6 एवं उक्त आदेश के अन्तर्गत जारी अधिकार पत्र की शर्तों का उलंघन होने पर कार्यालय पत्रांक 8428 दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया।

पेरोकार सरकार ने बताया कि निलम्बित डीलर को निलम्बन के पश्चात पत्रांक 8435 दिनांक 03.11.2020,पत्रांक 8685 दिनांक 08.12.2020,पत्रांक 9068 दिनांक 04.01.2021 एवं पत्रांक 9890 दिनांक 10.02.2021 को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के पर्याप्त मौके देने, प्राधिकार पत्र निरस्त होने के उपरान्त सामग्री लोटाने को गबन की श्रेणी में व अनियमितता मानते हुए प्राधिकार पत्र को दिनांक 17.02.2021 को निरस्त कर दिया गया है बिल्कुल सही है,अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध ग्राम वासियान हरिगढ द्वारा शिकायत करने पर प्रवर्तन निरीक्षक खानपुर ने दिनांक 20.08.2020 को मोके पर जाकर जांच कर ग्राम वासियान के बयानात लिये गये। पुनः दिनांक 14.10.2020 को जांच की गई। जांच रिपोर्ट में उक्त दुकानदार ने निःशुल्क गेहूं वितरण के दौरान पैसे वसूल किये। उ0मू0दुकानदार के स्थान पर उसके पुत्र द्वारा वितरण किया जाता है जो कि अधिकांशतया नशे में रहता है एवं उसके द्वारा उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार किया जाता है। उ0मू0दुकानदार द्वारा समय पर राशन वितरण नहीं किया जाता है। इस पर उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र दिनांक 03.11.2020 को निलम्बित किया गया जिस पर उसके द्वारा दिनांक 20.11.2020 को आंशिक स्टॉक सम्बन्धित अटेच डीलर को उपलब्ध कराया गया व इस कम में उक्त उचित मूल्य दुकानदार को नोटिस कमांकः 8435 दिनांक 03.11.2020,पत्रांक 8685 दिनांक 08.12.2020,पत्रांक 9068 दिनांक 04.01.2021 एवं पत्रांक 9890

जिला कलक्टर
झालावाड़

दिनांक 10.02.2021 जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बकाया स्टॉक का हस्तान्तरण सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को नही किये जाने पर आदेशिका दिनांकः 16.02.2021 से एफ आई आर दर्ज कराने हेतु भी निर्देशित किया गया तथा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) 1976 के खण्ड 8 एवं उक्त आदेश के अन्तर्गत जारी अधिकार पत्र की शर्तों का उलंघन होने पर कार्यालय प्रकरण संख्या 64/2020 निर्णय दिनांक 17.02.2021 से प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया । तत्पश्चात उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बकाया स्टॉक को सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार को दिनांक 05.03.2021 को स्थानान्तरित किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा दो बार जांच करवाई गई तत्पश्चात उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 03.11.2020 को निलम्बित कर अपीलान्ट को उक्त क्रम में कारण स्पष्ट करने हेतु व अवशेष स्टॉक को संबद्ध उचित मूल्य दुकानदार को नही संभलाने पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु नोटिस जारी किया गया– जिस पर अपीलान्ट द्वारा आशिंक सामान ही संबद्ध उचित मूल्य दुकानदार को दिनांक 20.11.2020 को संभलाया गया तत्पश्चात दिनांक 17.02.2021 को प्राधिकार पर निरस्त होने के उपरान्त अवशेष स्टॉक को सम्बन्धित अटेच डीलर को दिनांक 05.03.2021 को संभलाया गया। अपीलान्ट द्वारा उसको दिये गये नोटिस के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने पर भी अपीलान्ट द्वारा कोई स्पष्ट एंव संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया गया व 4 माह पश्चात अवशेष स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण किया जाना साबित है । खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा आदेशों के क्रम में निलम्बन के पश्चात 90 दिन के अन्दर जांच पूर्ण कर जिला रसद अधिकारी को अपना निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अपीलान्ट को दिनांक 03.11.2020, 08.12.2020, 04.01.2021 एवं 10.02.2021 तक लगातार नोटिस दिये जाने पर भी जानुबूझ कर जवाब अधीनस्थ जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत नही करने सम्पूर्ण सामग्री नही लोटाने पर ही प्रकरण संख्या– 64/2020 में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2021 पारित किया गया है। जो नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार किया जाना पाया जाता है। शिकायत रंजिश वश किये जाने का भी कोई सबूत पेश नही किया है। राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा योजनान्तर्गत समस्त लाभार्थी परिवारों को निशुल्क गेंहू वितरण हेतु निर्देश होने व इस बाबत जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदार को पाबन्द किये जाने के उपरान्त भी उचित मूल्य दकानदार द्वारा उपभोक्ताओं से राशन सामग्री वितरण के दौरान खाद्यान की अवैध तरीके से राशि वसूल की जाना, उचित मूल्य दुकानदार के पुत्र द्वारा शराब पीकर खाद्यान्न वितरण किये जाना, उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक मूल्य एवं वितरण की मात्रा प्रदर्शित नहीं करना, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना, दुकान के बाहर अधिकारियों के एवं टोल फ्री नम्बर का अंकन नहीं करना व कारोबार स्थल /उचित मूल्य दुकान का नजरी नक्शा मौके पर प्रस्तुत नहीं किया जाना स्पष्ट अनियमितता व गबन की पुष्टि करता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अनियमितता का दोषी पाया जाता है। 03 माह की अवधि में निस्तारण में देरी जिला रसद अधिकारी के स्तर से नही की गई बल्कि अपीलान्ट के खुद के जवाब नही देने व सामग्री नही लोटाने के कारण हुई है। जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/7/2021

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़